राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर.

परिशोधन प्रार्थना पत्र संख्या – 101/2010/अलवर

मैसर्स देहली वेयर हाऊसिंग प्रा0लि0,
नीमराणा, भिवाड़ी अलवर। .....अपीलार्थी.

बनाम

वाणिज्यिक कर अधिकारी,
भिवाड़ी, अलवर। ....प्रत्यर्थी.

एकलपीठ
श्री अमर सिंह – सदस्य

उपस्थित : :

श्री जे.के.जैन,
अभिभाषक .....अपीलार्थी की ओर से.

श्री रामकरण सिंह,
उप राजकीय अभिभाषक .....प्रत्यर्थी की ओर से.

निर्णय दिनांक : 21/07/2014

निर्णय

1. यह परिशोधन प्रार्थना पत्र राजस्थान कर बोर्ड की पूर्व एकलपीठ द्वारा अपील संख्या 964/2008/अलवर में पारित निर्णय दिनांक 31.08.2010 के विरूद्ध अधिनियम की धारा 33 के अन्तर्गत प्रस्तुत किया गया है।

2. प्रकरण के संक्षेप में सुसंगत तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी व्यवहारी की कर मुक्त बिक्री की जांच पर पाया गया कि उसके द्वारा विदेशी क्रेता से राशि प्राप्त की है जिस पर कर मुक्ति चाही गयी है। परन्तु राजस्थान विलासिता (होटल एवं वासों) पर ऐसी प्राप्ति राशि पर कर मुक्ति का कोई प्रावधान नहीं है। अतः वाणिज्यिक कर अधिकारी, भिवाड़ी, अलवर (जिसे आगे **"कर निर्धारण अधिकारी"** कहा जायेगा) द्वारा कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। नोटिस की पालना में प्रस्तुत जवाब को अमान्य करते हुए अपीलार्थी व्यवहारी के वर्ष 1999–2000 का कर निर्धारण धारा 17, विलासिता कर (होटल एवं वासों पर) के अन्तर्गत दिनांक 25.02.2002 को पारित कर उसके द्वारा कर मुक्त दर्शायी गई बिक्री रूपये 11,84,125/– को अस्वीकार कर, कर रूपये 88,810/– धारा 21(2) के अन्तर्गत शास्ति रूपये 2380/– आरोपित की तथा उक्त राशि जमा नहीं होने के कारण धारा 20 के अन्तर्गत ब्याज रूपये 51,405/– आरोपित किया। कर निर्धारण अधिकारी के आदेश दिनांक 25.02.2002 से पीड़ित होकर अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा उपायुक्त (अपील्स), वाणिज्यिक कर विभाग, भरतपुर (जिसे आगे **"अपीलीय अधिकारी"** कहा जायेगा) के समक्ष अपील प्रस्तुत करने पर, अपीलीय अधिकारी ने आदेश दिनांक 04.12.2007 के द्वारा अपीलार्थी व्यवहारी की अपील अस्वीकार कर दी। अपीलीय अधिकारी के इस आदेश से व्यथित होकर, अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा कर बोर्ड के समक्ष अपील पेश करने पर, कर बोर्ड द्वारा अपीलार्थी व्यवहारी की अपील निर्णय दिनांक 31.08.2010 द्वारा अस्वीकार कर दी गई। कर बोर्ड के उक्त आदेश से व्यथित होकर अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा यह परिशोधन प्रार्थना पत्र पेश किया गया है।

लगातार.....2

3. अपीलार्थी व्यवहारी के अधिकृत प्रतिनिधि ने बहस के दौरान कथन किया कि अधिसूचना संख्या एफ12(1)एफडी/टैक्स/90–51 दिनांक 27.09.2007 के अनुसार विदेशी क्रेता से प्राप्त बिक्री कर मुक्त बिक्री की श्रेणी में आती है। कर निर्धारण अधिकारी ने अपीलार्थी व्यवसायी के विरूद्ध आरोपित कर, शास्ति एवं ब्याज को अविधिक बताया। अपीलीय अधिकारी ने भी कर निर्धारण द्वारा आरोपित मांग को यथावत रखा था। उनका निवेदन था कि अपीलीय स्तर पर उक्त प्रकरण को कर निर्धारण अधिकारी को पुनः प्रतिप्रेषित करना चाहिये था। कर बोर्ड की पूर्व एकलपीठ ने भी अपीलार्थी व्यवसायी द्वारा प्रस्तुत अपील को अस्वीकार करने में विधिक भूल की है। अतः उनका निवेदन था कि प्रस्तुत परिशोधन प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे।

4. विभाग के विद्वान उप राजकीय अभिभाषक ने कर निर्धारण अधिकारी, अपीलीय अधिकारी एवं कर बोर्ड द्वारा पूर्व पारित आदेश का समर्थन करते हुए प्रस्तुत परिशोधन प्रार्थना पत्र अस्वीकार करने का निवेदन किया।

5. उभयपक्षों की बहस व रेकार्ड का अवलोकन किया गया। यह तथ्य स्पष्ट है कि राजस्थान विलासित (होटल एवं वासों) कर अधिनियम, 1990 के अन्तर्गत विदेशी क्रेता से प्राप्त राशि पर कर मुक्ति का कोई प्रावधान नहीं है। अधिसूचना संख्या एफ12(1)एफडी/टैक्स/90–51 दिनांक 27.09.2007 में तीन शर्ते दी गई जो निम्न प्रकार है:–

1- That the hotelier shall maintain a record containing details as to diplomatic indentification card number, name of embassy/high commission and period of stay.
2- That the tax charged or collected shall be paid to the State Government, and
3- That the tax alredy paid to the State Government, if any, shall not be refunded.

उक्त तीनों शर्तो की पालना अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा नही की गई है। अपीलीय अधिकारी द्वारा भी उक्त अधिसूचना की शर्तो की पालना नहीं करने के कारण कर निर्धारण अधिकारी द्वारा आरोपित मांग को यथावत रखा था एवं कर बोर्ड की पूर्व एकलपीठ ने भी इसे यथावत रखते हुए व्यवसायी की अपील को अस्वीकार करने में कोई विधिक भूल नहीं की है।

फलतः उपरोक्त विवेचनानुसार अपीलार्थी व्यवसायी द्वारा प्रस्तुत परिशोधन प्रार्थना पत्र अस्वीकार किया जाता है।

निर्णय सुनाया गया।

21-7-14

(अमर सिंह)
सदस्य